



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249967
CG-DL-E-09112023-249967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4675]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945

No. 4675]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

का.आ. 4877(अ)—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना फा.सं.पी-12011/12/2022-ईएस सेल-डीओआर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 7 मार्च, 2023 में का.आ. 1072(अ), तारीख 7 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (चक) के अर्थात्गत विनियामक, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत होगा।”

[फा. सं. पी-12011/10/2023-ईएस सेल-डीओआर]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2023

S.O. 4877(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No.F.No.P-12011/12/2022-ES Cell-DOR published vide number S.O. 1072 (E), dated 07th March, 2023 in Part II, Section 3, sub-section (ii) in the Gazette of India, Extraordinary dated the 7th March, 2023, namely:-

In the said notification, the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after the Explanation 1 as so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation 2.- For the purposes of activities specified in this notification, the Regulator within the meaning of clause (fa) of sub-rule (1) of rule 2 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, shall be the Director, Financial Intelligence Unit, India appointed under sub-section (1) of section 49 of the said Act.”.

[F. No. P-12011/10/2023-ES Cell-DOR]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)